न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—90 / 2018 (2018 / 00222) वादपत्र

अनवान

1. उदयराम पुत्र हीरा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शान्तिलाल पुत्र गणेश लाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भगवतीलाल पुत्र शान्तिलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बाफना — वादी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात संख्या 434 रकबा 0.37 है0 भूमि स्थित है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश की है। वादी की खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या की खातेदारी आराजी संख्या 435 के समीप है प्रतिवादी 1 व 2 आपस में पिता पुत्र है जिसका वादी की खातेदारी से कोई लेना देना नही है किन्तु आये दिन वादी की उक्त आराजी में दादागिरी से दखल करने पर आमाद रहते है और पूर्व में भी दिनांक 09.06.2018 को वादी की आराजी में एक थम्मे का निमार्ण कर दिया जिस पर वादी ने थाना रायपुर में रिपोर्ट पेश की गई जिस उस खम्बे को हटा दिया दिनांक 15.12.2018 को वादी के घर में शादी थी जिससे वादी शादी में व्यस्त होने के कारण इसका मौका उठाकर प्रतिवादीगण ने वापस अतिक्रमण करना शुरू कर दिया किन्तु वादी द्वारा अतिक्रमण नही करने दिया प्रतिवादी पुनः वादी की खातदेारी अतिक्रमण कर खम्बे का निमार्ण कर सकते है एसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण दादागिरी व अपने भुजबल से वादी की आराजी संख्या 434 रकबा 0.37 है0 भूमि मे किसी प्रकार का निमार्ण नही करे और दखलदांजी नही करे ओर वादी को शान्तिपूर्वक उपभोग उपयोग करने से नही रोके। वादी की आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण व निमार्ण भी नही करे और निमार्ण कर लिया जावे तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री के जरिये प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवायी जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 26.12.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता जाकिर हुसैन द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो पत्रावली किया गया जवाब में अकिंत किया गया कि वादपत्र में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है वादी की आराजी संख्या 434 में प्रतिवादीगण ने कोई दखलदांजी नही की है। और न ही कोई खम्बा लगाया आये दिन वादी और उसके परिवार वाले प्रतिवादी की आराजी संख्या 435 में दंखलदाजी करते है इसके साथ काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसमें अकिंत किया कि प्रतिवादी की आराजी संख्या 435 रकबा 0.16 है0 जिस पर वादी दखल करते है और आराजी के 0.03 है0 पर अवैध कब्जा करते हुए खम्बा लगाकर तारबन्दी कर दी और प्रतिवादी द्वारा वादी को कब्जा हटाने बाबत् कहा तो आपकी जमीन की पत्थगढ़ी करवा लो छोड़ दुंगा वादी द्वारा झुठा दावा पेश किया है प्रतिवादी की भूमि के 0.03 है0 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की बेदखली की डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि इसी आराजी के सम्बन्ध में एक प्रकरण 124 / 2020 जो अन्तर्गत धारा 111, 128 शान्तिलाल बनाम उदेराम विचाराधीन है

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested

जो वादवर्णित भूमि आराजी संख्या 434 के पास स्थित आराजी संख्या 435, 436 व 437 की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है अधिवक्ता प्रकरण 124/2020 श्री फारूख मोहम्मद ने कहा कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसके कोई कानुनी रोक नही है इसके साथ वादी अधिवक्ता श्री सुनिल बापना द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि वादी की आराजी पर प्रतिवादी दखलदांजी नही करे और हमे पत्थरगढ़ी कराने में कोई आपत्ति नही इसके साथ ही विपक्षी अधिवक्ता जाकिर हुसैन द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में निवेदन किया कि प्रतिवादी की आराजियात में वादी दखंल नही करे और वादी द्वारा प्रतिवादी के 0.03 है0 भूमि पर कब्जा कर रखा है उसको हटवाने हेतु काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादवर्णित आराजी संख्या 434 का वादी खातेदार है प्रतिवादी आराजी संख्या 435 के खातेदार है वादी को प्रतिवादी की भूमि पर एवं प्रतिवादी को वादी की भूमि पर दखलदांजी करने का कोई अधिकार नही है और दोनो पक्ष भी यही चाहते है कि कोई पक्ष एकदुसरे की भूमि में दखलदांजी नही करे और न किसी प्रकार का निर्माण करे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा काउन्टर क्लेम में अकिंत किया कि प्रतिवादी की खातेदारी आराजी संख्या 435 रकबा 0.16 है0 में 0.03 है0 भूमि पर वादी अवैध कब्जा किया गया है जिसे हटाया जावे किन्तु इसके समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नही की है जिससे प्रतिवादी का यह कथन साबित होता हो। जहां तक खातेदार द्वारा भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का प्रश्न है तो इसमें कानुनी किसी प्रकार की रोक नही है कोई भी पक्ष अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कभी भी करा सकता है जिसके लिये दुसरे पक्ष को आपत्ति करने का कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाने एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित वादी के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 434 रकबा 0.37 है0 भूमि में वादी को उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में वादीगण के हक हिस्से अनुसार कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का निमार्ण वादी की आराजी में किया जावे। इसी तरह प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आशिंक रूप से स्वीकार कर वादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी की खातेदारी आराजी नम्बर 435 में किसी तरह कोई निर्माण नही करे तथा न किसी तरह की दंखलदांजी करे। दोनो पक्ष अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहे न एक दुसरे के कब्जे में दखलदांजी या निमार्ण करे। अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराने के लिये खातेदार स्वतंत्र है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.11.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—90 / 2018 (2018 / 00222) वादपत्र

अनवान

1. उदयराम पुत्र हीरा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शान्तिलाल पुत्र गणेश लाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भगवतीलाल पुत्र शान्तिलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित वादी के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 434 रकबा 0.37 है0 भूमि में वादी को उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में वादीगण के हक हिस्से अनुसार कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का निमार्ण वादी की आराजी में किया जावे। इसी तरह प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आशिंक रूप से स्वीकार कर वादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी की खातेदारी आराजी नम्बर 435 में किसी तरह कोई निर्माण नही करे तथा न किसी तरह की दंखलदांजी करे। दोनो पक्ष अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहे न एक दुसरे के कब्जे में दखलदांजी या निमार्ण करे। अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराने के लिये खातेदार स्वतंत्र है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.11.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested